धारा .....उ.प्र.ज.अ.प्र.नि.अ. 10 / लो० 21

दिनांक 23/12/24 को पेश हो ।

उपखण्ड अधिकारी

23/12/24 पत्रावली पेश हुई । वकील वादी/प्रार्थी उपस्थित नहीं । न्यायालय का समय पूर्ण होने तक बार-बार आवाज लगाई गई । बार-बार आवाज लगाने के बाद भी वकील वादी/प्रार्थी उपस्थित नहीं । अतः प्रकरण को इसी स्तर पर अदम हाजरी अदम पैरवी में खरिज किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो व दाखील दफ्तर हो ।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Scanned with OKEN Scanner